मीटर सम्बन्धित दायित्व (स्मार्ट मीटर):–

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के विनियम क्रमांक 8.1 के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियाँ कोई भी नवीन विद्युत संयोजन स्मार्ट प्री–पेड मीटर अथवा प्री–पेड मीटर लगाकर ही जारी करेंगी। विनियम 8.6 में उपभोक्ता को स्वयं मीटर खरीदकर लगाने का विकल्प भी दिया गया है तथा विद्युत वितरण कम्पनियों को उनकी अधिकृत वेबसाइट पर मीटर विक्रेताओं के नाम व पते उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि उपभोक्ताओं को मीटर क्रय करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

संहिता के विनियम 8.24 के अनुसार विद्युत उपभोक्ता द्वारा, यदि उसका विद्युत मीटर उसकी खपत के अनुपात में सही मापन नहीं कर रहा हैं, वह विद्युत वितरण कम्पनी से इसे टेस्ट किये जाने का अनुरोध कर सकता है, इस संबंध में उपभोक्ता का लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा 7 दिवस के भीतर उपभोक्ता का मीटर टेस्ट कराया जावेगा, इस हेतु उपभोक्ता से अनुरोध के समय कोई फीस नहीं ली जावेगी किन्तु यदि जाँच में मीटर जला तथा दोषपूर्ण पाया जाता है, तो उसे मीटर की लागत को वहन करना होगा जो उससे आगामी विद्युत बिलों में जोड़कर वसूल की जावेगी। संहिता के विनियम 8.26 के अनुसार, यदि विद्युत मीटर जला या चोरी नहीं हुआ है, तो खराब मीटर को विद्युत कम्पनियों द्वारा संज्ञान में आने के शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटों के भीतर बदला जावेगा।

संहिता के विनियम 8.33 के अनुसार स्पॉट बिलिंग के प्रकरणों में यदि घर बंद होने के कारण किसी उपभोक्ता का बिल जारी नहीं होता तो मीटर वाचक उनके घर इस आशय का नोट छोड़ेंगे कि उपभोक्ता वितरण केन्द्र पर अपनी रीडिंग फोन के माध्यम से बता कर बिल प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार का प्रावधान विनियम 8.43 में भी अन्य उपभोक्ताओं हेतु किया गया है।

संहिता के विनियम 8.44 में विस्तार से प्रावधानित किया गया है कि यदि किसी उपभोक्ता का मीटर खराब हो गया है, तो उस अवधि में उसकी बिलिंग किस आधार पर की जावेगी। संक्षिप्त में ऐसी स्थिति में विगत तीन माह की खपत के आधार पर मासिक औसत की खपत का बिल दिये जाने का प्रावधान है, विस्तृत जानकारी कें लिए कंडिका को पढ़ा जाना चाहिये।

स्मार्ट प्री पेड मीटर/प्री पेड मीटरः–

स्मार्ट मीटर से अभिप्राय है वह मीटर जिसमें एक संचार मॉड्यूल के एक चिप के माध्यम में एकीकृत होता है। सरल भाषा में कहें तो ऐसा मीटर जिसमें कम्प्यूटर के साथ संचार की सुविधा उपलब्ध होती है, स्मार्ट मीटर कहलाते हैं। प्री–पेड से आशय है कि वह विद्युत मीटर जिसमें आप मीटर के माध्यम से खरीदी जाने वाली विद्युत यूनिटों का अग्रिम भुगतान कर सकते हैं, अग्रिम भुगतान किये जाने पर आपका मीटर चालू हो जायेगा एवं भुगतान पूर्ण होने पर यह स्वतः बंद हो जायेगा, पुनः पुनर्भुगतान कर इसे चार्ज किया जा सकता है। स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर पर यह कार्य दूरभाष के माध्यम से किया जाना भी सम्भव है, जबकि सिर्फ प्री–पेमेंट मीटर में उपभोक्ता को भुगतान कर एक कोड प्राप्त करना पड़ेगा जिसे मीटर में इंद्राज करना होगा। स्मार्ट प्री पेड मीटर/प्री पेड मीटर से विद्युत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ होते हैं:–

1. बिलिंग में त्रुटि से सम्बन्धित कठिनाइयों से छुटकारा।
2. अपने भुगतान की क्षमता अनुसार विद्युत का उपयोग करने की सुविधा।

3. प्रतिमाह रीडिंग इत्यादि समस्याओं से छुटकारा।

4. वर्तमान में लागू विद्युत दरों में प्री–पेड स्मार्ट मीटर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें छूट भी दी जाती है।

5. विद्युत बिल भुगतान की अंतिम तिथि व अधिभार इत्यादि से राहत, उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार, बैलेंस कम होने का मैसेज दूरभाष पर प्राप्त होने पर आनलाईन रिचार्ज करवा सकता है।

6. एप के माध्यम से उपभोक्ता अपने मीटर की पूर्व खपत, औसत खपत, वर्तमान खपत इत्यादि डाटा देख सकता है और प्रभावी कदम उठा सकता है, ताकि उसे अनावश्यक भुगतान न करना पड़े।

7. एप के माध्यम से कम ऊर्जा खपत किये जाने हेतु टिप्स देखे जा सकते हैं।